संख्या-181/2024/899/41-2-2024-CN-1748358

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-2 **लखनऊ, दिनांक 12 जून, 2024**

विषय:-जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड मेजा के ग्राम दिधिया में स्थित माँ बाराही देवी पौराणिक स्थल का पर्यटन विकास एवं सौन्दर्याकरण कार्य की परियोजना को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-801/6-1-1(72)/2023-24 दिनांक 22.05.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से प्रश्नगत परियोजना हेतु प्रस्तावित कार्यस्थल की भूमि को रेलवे विभाग द्वारा अधिग्रहण किये जाने के कारण परियोजना को निरस्त किये जाने तथा अवमुक्त धनराशि रू0 70.00 लाख (रू0 सत्तर लाख मात्र) को राजकीय राजकोष में जमा कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-686/2023/4504/41-2023-001-1748358-2023 दिनांक 30.09.2023 द्वारा जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड मेजा के ग्राम दिधिया में स्थित माँ बाराही देवी पौराणिक स्थल का पर्यटन विकास एवं सौन्दर्याकरण कार्य की स्वीकृत परियोजना को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। कृपया तदनुसार शासनादेश संख्या-686/2023/4504/41-2023-001-1748358-2023 दिनांक 30.09.2023 द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 70.00 लाख (रू0 सत्तर लाख मात्र) को ब्याज सहित राजकोष में जमा कराते हुए उक्त की सूचना शासन को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, प्रयागराज।
4- विशेष सचिव, संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
7- निदेशक, उ0प्र0 ललितकला अकादमी, लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9- उप निदेशक, पर्यटन (रा0यो0) निदेशालय, लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
11- संस्कृति अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
12- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।
13- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- /2023/आई/ /41-1002(001)/63/2022

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक अगस्त, 2023**

विषय:-जनपद वाराणसी के गुरू संत रविदास जी की जन्म स्थली सीरगोवर्धन के पर्यटन विकास प्रायोजनान्तर्गत स्वीकृत 03 घटक कार्य (ट्रामा सेन्टर से रविदास मंदिर तक 2350 मीटर सड़क के निर्माण, संत रविदास मंदिर मोड़ से एन0एच0 रोड तक प्रस्तावित 12 मीटर चौड़ी सड़क निर्माण (लम्बाई 0.750 कि0मी0) एवं बी0एच0यू0 से वाया रविदास मंदिर एन0एच0 रिंग रोड तक सुदृढ़ीकरण का कार्य (लम्बाई 1.650 कि0मी0)) की परियोजना को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-2048/6-1-1(1019)/2019-20 दिनांक 04.07.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उक्त प्रायोजना हेतु पूर्व में स्वीकृत उपर्युक्त 03 सड़क निर्माण कार्यों को निरस्त करते हुए जिलाधिकारी, वाराणसी के निवर्तन पर 18 माह से अप्रयुक्त पड़ी धनराशि रू0 653.97 लाख को ब्याज सहित राजकोष में जमा कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. अवगत कराना है कि जनपद वाराणसी में स्थित गुरू रविदास जी की जन्म स्थली सीरगोवर्धन के पर्यटन विकास कार्य हेतु शासनादेश संख्या-41-2019/605/41-2019-20 (बजट)/2019 दिनांक 18.02.2019 द्वारा रू0 1309.58 लाख की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी। तदोपरान्त शासनादेश संख्या-212/2019/1837/41-2019-20(बजट)/ 2019 दिनांक 16.08.2019 द्वारा रू0 1514.02 लाख + जी0एस0टी0 (वास्तविक भुगतान के आधार पर) की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की गयी। तत्पश्चात शासनादेश संख्या-190/2021/936/41-2021-20(बजट)/2019 दिनांक 05.03.2021 द्वारा रू0 196.00 लाख, शासनादेश संख्या-557/2021/ 4071/41-2021-20(बजट)/2019, दिनांक 28.10.2021 द्वारा रू0 823.47 लाख, शासनादेश संख्या-718/2021/4506/41-2021-20(बजट)/2019 , दिनांक 13.12.2021 द्वारा रू0 37.11 लाख एवं शासनादेश संख्या-250/2022/971/001-41-2022-20(बजट)/2019, दिनांक 19.04.2022 द्वारा रू0 50.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी। इस प्रकार प्रायोजना हेतु रू0 1306.58 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-41-2019/605/41-2019-20 (बजट)/2019 दिनांक 18.02.2019 द्वारा जनपद वाराणसी में स्थित गुरू रविदास जी की जन्म स्थली सीरगोवर्धन के पर्यटन विकास कार्य अन्तर्गत स्वीकृत घटकों में से 03 घटक कार्य (ट्रामा सेन्टर से रविदास मंदिर तक 2350 मीटर सड़क के निर्माण, संत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

रविदास मंदिर मोड़ से एन0एच0 रोड तक प्रस्तावित 12 मीटर चौड़ी सड़क निर्माण (लम्बाई 0.750 कि0मी0) एवं बी0एच0यू0 से वाया रविदास मंदिर एन0एच0 रिंग रोड तक सुदृढ़ीकरण का कार्य (लम्बाई 1.650 कि0मी0)) की योजना को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। कृपया तदनुसार शासनादेश संख्या-557/2021/4071/41-2021-20 (बजट) /2019 दिनांक 28.10.2021 के माध्यम से प्रायोजना हेतु तृतीय किश्त के रूप में रू0 निर्गत धनराशि रू0 823.47 लाख की धनराशि में से जिलाधिकारी, वाराणसी के निर्वतन पर रखी गयी धनराशि रू0 653.97 लाख को ब्याज सहित राजकोष में जमा कराते हुए उक्त की सूचना एक सप्ताह के भीतर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्य क कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, वाराणसी।
4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ/सम्बन्धित कोषाधिकारी।
6- मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, वाराणसी।
7- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- उप निदेशक, पर्यटन (रा0यो0) निदेशालय, लखनऊ।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
10- उप निदेशक, पर्यटन वाराणसी एवं विंध्याचल मण्डल, वाराणसी।
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- /2023/आई/ /41-1002(001)/63/2022

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक अगस्त, 2023**

विषय:-जनपद वाराणसी के गुरू संत रविदास जी की जन्म स्थली सीरगोवर्धन के पर्यटन विकास प्रायोजनान्तर्गत स्वीकृत 03 घटक कार्य (ट्रामा सेन्टर से रविदास मंदिर तक 2350 मीटर सड़क के निर्माण, संत रविदास मंदिर मोड़ से एन0एच0 रोड तक प्रस्तावित 12 मीटर चौड़ी सड़क निर्माण (लम्बाई 0.750 कि0मी0) एवं बी0एच0यू0 से वाया रविदास मंदिर एन0एच0 रिंग रोड तक सुदृढ़ीकरण का कार्य (लम्बाई 1.650 कि0मी0)) की परियोजना को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-2048/6-1-1(1019)/2019-20 दिनांक 04.07.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उक्त प्रायोजना हेतु पूर्व में स्वीकृत उपर्युक्त 03 सड़क निर्माण कार्यों को निरस्त करते हुए जिलाधिकारी, वाराणसी के निवर्तन पर 18 माह से अप्रयुक्त पड़ी धनराशि रू0 653.97 लाख को ब्याज सहित राजकोष में जमा कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-41-2019/605/41-2019-20 (बजट)/2019 दिनांक 18.02.2019 द्वारा जनपद वाराणसी में स्थित गुरू रविदास जी की जन्म स्थली सीरगोवर्धन के पर्यटन विकास कार्य अन्तर्गत स्वीकृत घटकों में से 03 घटक कार्य (ट्रामा सेन्टर से रविदास मंदिर तक 2350 मीटर सड़क के निर्माण, संत रविदास मंदिर मोड़ से एन0एच0 रोड तक प्रस्तावित 12 मीटर चौड़ी सड़क निर्माण (लम्बाई 0.750 कि0मी0) एवं बी0एच0यू0 से वाया रविदास मंदिर एन0एच0 रिंग रोड तक सुदृढ़ीकरण का कार्य (लम्बाई 1.650 कि0मी0)) की योजना को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। कृपया तदनुसार शासनादेश संख्या-557/2021/4071/41-2021-20 (बजट) /2019 दिनांक 28.10.2021 के माध्यम से प्रायोजना हेतु तृतीय किश्त के रूप में रू0 निर्गत धनराशि रू0 823.47 लाख की धनराशि में से जिलाधिकारी, वाराणसी के निर्वतन पर रखी गयी धनराशि रू0 653.97 लाख को ब्याज सहित राजकोष में जमा कराते हुए उक्त की सूचना एक सप्ताह के भीतर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नंलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्य क कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, वाराणसी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ/सम्बन्धित कोषाधिकारी।
6- मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, वाराणसी।
7- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- उप निदेशक, पर्यटन (रा0यो0) निदेशालय, लखनऊ।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
10- उप निदेशक, पर्यटन वाराणसी एवं विंध्याचल मण्डल, वाराणसी।
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।